6|4|21

वकील अपीलांट उप0। वकील अपीलांट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में जैर अपील मूल स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज हो चुका है। अतः उक्त अपील निष्प्रयोजन हो चुकी है। उक्त कारण से अपीलांट पत्रावली को आगे चलाना नही चाहते है। पत्रावली को आज ही पेशी पर ली जाकर जरिए नोट प्रेस अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे

परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय में जैर अपील मूल स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज हो जाने से अपील निष्प्रयोजन हो चुकी है। जिससे अपील चलने योग्य योग्य नही है। वकील अपीलांट के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। अतः न्यायहित में वकील अपीलांट के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये नोट प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

6/04/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मूल T.I. प्राधिकारी से
जारी है
अपील निष्प्रयोजन
हो गई है।
not press
6|4|21